

प्रेस विज्ञप्तिथाना कन्धरापुरआरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले में 25 हजार रूपयें का इनामिया मुख्य आरोपी गिरफ्तार; पूर्व में 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल

पूर्व की घटना- दिनांक 17.02.2024 को तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह, प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी मय स्वाट टीम व हे0का0 उमेश यादव सर्विलान्स द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस (आरक्षी) परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह को नकल कराने से पूर्व ही सेहदा चक बिजली ग्राम मार्ग से 07 अभियुक्तों 1. संजय यादव पुत्र स्व0 रामराज यादव निवासी कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़, 2. रोहित गुप्ता पुत्र भरतलाल गुप्ता निवासी वार्ड नम्बर- 2 अम्बेडकर नगर कसवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, 3. हरिवंश यादव पुत्र सुखई यादव निवासी दिवाकरपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, 4. भीम यादव पुत्र स्व0 मोती यादव निवासी खनियरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, 5. कैलाश यादव पुत्र श्यामजीत यादव निवासी ग्राम जैतीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़, 6. राजेश तिवारी पुत्र स्व0 सभाकर तिवारी निवासी ग्राम जियासड़ थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, 7. पवन कुमार सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम भगेही थाना रामपुर जिला जौनपुर को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 7360/- रूपया, 14 लाख रूपये के 02 चेक बरामद हुआ। तथा शेष 02 अभियुक्त 1. अशोक जैसवार पुत्र हरिनाथ जायसवार निवासी ग्राम विद्रावन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर, 2. विजय कन्नौजिया पुत्र छोटे लाल कन्नौजिया निवासी ग्राम कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़ मौके से फरार हो गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 46/2024 धारा 120B/ 419/ 420/ 467/ 468/ 471/ 34 भादवि0 पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया था।

➡ विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त पिन्टू सेठ पुत्र प्रेमचन्द सेठ निवासी ग्राम गुतवन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर को दिनांक 18.04.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

➡ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 25 हजार रूपया का इनामिया अभियुक्त विजय बहादुर कन्नौजिया पुत्र छोटे लाल कन्नौजिया निवासी ग्राम कुम्भ मठिया थाना बरदह आजमगढ़ को दिनांक 26.04.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

➡ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित फरार अभियुक्त अशोक जैसवार पुत्र हरिनाथ जायसवार निवासी ग्राम विद्रावन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पूर्व में 25 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 28.04.2024 को उ0नि0 अमित कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 25000/- रूपये के इनामिया अभियुक्त अशोक जैसवार पुत्र हरिनाथ जायसवार निवासी ग्राम विद्रावन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर को भंवरनाथ चौराहे (गांधी गुरूकुल स्कूल के सामने मेन रोड से) से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अशोक जैसवार पुत्र हरिनाथ जायसवार निवासी ग्राम विद्रावन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 46/2024 धारा 120B/419/420/467/468/471/34 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 02 कूट रचित आधार कार्ड, 02 कूट रचित उत्तर कुंजी उ0प्र0 सिपाही परीक्षा से सम्बन्धित, 01 की-पैड मोबाइल फोन तथा 01 हैण्ड बैग व 150/- रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार पाल, SIUT पुनीत कुमार श्रीवास्तव, का0 धीरेन्द्र पासवान, हे0का0 चालक मोहन पाण्डेय थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

थाना- कोतवाली
दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 26.04.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 25.04.2024 को अभियुक्त गामा निषाद पुत्र टेल्लू निषाद निवासी बद्दोपुर कालीघाट थाना कोतवाली आजमगढ़ ने वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया तथा परिजनों को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 247/2024 धारा 376/506 भादवि 5/ 6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 27.04.2024 को नि0अ0 रफी आलम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामरतन उर्फ गामा निषाद पुत्र टेल्लू निषाद निवासी बद्दोपुर कालीघाट थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को रोडवेज बस स्टैण्ड आजमगढ़ से समय करीब 20.38 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- रामरतन उर्फ गामा निषाद पुत्र टेल्लू निषाद नि0 बद्दोपुर कालीघाट थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 247/24 धारा 376/506 भादवि व 5/ 6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- नि0अ0 रफी आलम, व0उ0नि0 रामकृपाल सोनकर, हे0कां0 सर्वेश विक्रम, कां0 अभय कुमार सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना- कन्धरापुर
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 16.03.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी, उ0नि0 अजय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा बोलेरो गाडी में 10 किलो ग्राम गांजा के साथ अभियुक्तों 1. राकेश उर्फ सोनू यादव पुत्र मुंशी यादव नि0 सलारपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 2.जितेन्द्र उर्फ जितई यादव पुत्र स्व0 तिलकधारी नि0 बजाहुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 3.दीपक उर्फ कल्लू पुत्र छांगूर नि0 चौकी गंजोर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को रुदरी अंडर पास से गिरफ्तार किया गया था जिनके पास से 55100/- रुपये बरामद हुआ था।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त 1. राकेश उर्फ सोनू यादव पुत्र मुंशी यादव नि0 सलारपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 2.जितेन्द्र उर्फ जितई यादव पुत्र स्व0 तिलकधारी नि0 बजाहुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 3.दीपक उर्फ कल्लू पुत्र छांगूर नि0 चौकी गंजोर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ गैंग बनाकर गांजा तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित करते है।

➡ उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थानाध्यक्ष रानी की सराय प्रदीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 26.04.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया था।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 27.04.2024 को थानाध्यक्ष रानी की सराय की तहरिर पर थाना स्थानीय पर अभियुक्तों 1. राकेश उर्फ सोनू यादव पुत्र मुंशी यादव नि0 सलारपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 2.जितेन्द्र उर्फ जितई यादव पुत्र स्व0 तिलकधारी नि0 बजाहुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 3.दीपक उर्फ कल्लू पुत्र छांगूर नि0 चौकी गंजोर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 112/2024 धारा 2(ख)/(I), 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 28.04.2024 को प्र0नि0 कन्धरापुर सुदेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जितई यादव पुत्र स्व0 तिलकधारी यादव सा0 बजाहुद्दीनपुर थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष को अभियुक्त के घर ग्राम बजाहुद्दीनपुर से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 112/2024 धारा 2(ख)/(I), 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- जितेन्द्र उर्फ जितई यादव पुत्र स्व0 तिलकधारी सा0 बजाहुद्दीनपुर थाना सिंधारी आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	म0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	74/2024	8/20 एनडीपीएस एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़
02	112/2024	(ख)/(I), 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0नि0 सुदेश कुमार सिंह, थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।
- 2.हे0कां0 भानु प्रताप थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।
03. कां0 विकश कन्नौजिया थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।
04. कां0 सुजीत शर्मा थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।
05. म0कां0 रागिनी यादव थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना – पवई

चोरी की मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.04.2024 को मुकदमा लालचन्द यादव पुत्र स्व0 बासदेव यादव ग्राम गोढ़िला थाना शाहगंज जनपद जौनपर द्वारा थाना पवई पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 25.04.24 को वादी का लड़का शैलेन्द्र यादव, ग्राम बसही अशरफपुर में फूलचन्द्र यादव के यहां बारात में मोटर साइकिल स्पेन्डर प्लस गाडी नं0 UP62CB5065 लेकर गया था, जिसे रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 133/24 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 28.04.2024 को व0उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय द्वारा लारपुर गौहर रोड तिराहे से चेकिंग के दौरान अभियुक्तो 1.सहदेव यादव पुत्र रामकुमार यादव नि0 ग्रा0 धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2.मंजेश कुमार पासवान उर्फ राजन पुत्र दिनेश कुमार पासवान नि0 ग्रा0 धुधुरी थाना पवई आजमगढ़ को समय करीब 6:20 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी की मोटर साइकिल (हीरो स्पलेन्डर न0 UP 62 CB 5065) बरामद हुआ।

➡ मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.सहदेव यादव पुत्र रामकुमार यादव नि0 ग्रा0 धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़।
- 2.मंजेश कुमार पासवान उर्फ राजन पुत्र दिनेश कुमार पासवान नि0 ग्रा0 धुधुरी थाना पवई आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 133/24 धारा 379/411 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

बरामदगी- एक मो0सा0 हीरो स्पलेन्डर नं0 यूपी 62 सीबी 5065 (चोरी की)

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह, रि0उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय, का0 कुलदीप वर्मा, का0 अनुपम यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना-दीदारगंज

अवैध तमंचा - कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 28/04/2024 को व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि 01 व्यक्ति अवैध तमंचा कारतूस के साथ भादो तिराहा से प्रस्थान कर चितारामहमुदपुर की तरफ जा रहा है, इस सूचना पर व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चितारामहमुदपुर से अभियुक्त समीर पुत्र राशिद ग्राम चितारामहमुदपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को 01 तमंचा .303 बोर 01 जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ समय करीब 07:10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 101/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- समीर पुत्र राशिद ग्राम चितारामहमुदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 101/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	101/24	3/7/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
2.	340/23	323/504/506/34 भादवि	दीदारगंज	आजमगढ़
3	27/22	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

बरामदगी- 01 तमंचा 0.303 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .303 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 अखिलेश कुमार, व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, का0 सुधांशु यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 21.02.2022 को वादी मुकदमा लालचन्द जयसवाल पुत्र स्व० सूर्यबली जयसवाल निवासी हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना रौनापार पर शिकायत किया गया था कि मुकदमें में रंजिश के कारण 1. अनिकेत सिंह पुत्र विवेक सिंह निवासी ग्राम हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व 2. अश्वनी सिंह उर्फ शालू सिंह पुत्र गिरजेश सिंह निवासी ग्राम अजगरा मसर्की नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने वादी के लडके को जन से मारने की नियत से मारपीट कर घायल कर दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 54/2022 धारा 307/325/342/504/506 भादवि० पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त 1. अनिकेत सिंह पुत्र विवेक सिंह निवासी ग्राम हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व 2. अश्वनी सिंह उर्फ शालू सिंह पुत्र गिरजेश सिंह निवासी ग्राम अजगरा मसर्की नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ गैंग बनाकर मारपीट, हत्या का प्रयास व बलवा जैसे अपराध कारित करते है जिससे आम जन मानस में आतंक व भय व्याप्त है, जिस कारण इनके कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है।

➡ उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थानाध्यक्ष रौनापार की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 24.04.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया था।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 27.04.2024 को थाना रौनापार पर अभियुक्तों 1. अनिकेत सिंह पुत्र विवेक सिंह निवासी ग्राम हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व 2. अश्वनी सिंह उर्फ शालू सिंह पुत्र गिरजेश सिंह निवासी ग्राम अजगरा मसर्की नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु०अ०सं०- 170/2024 धारा 2(ख)/(I), 3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 28.04.2024 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अश्वनी सिंह उर्फ शालू सिंह पुत्र गिरजेश सिंह निवासी ग्राम अजगरा मसर्की नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को ग्राम बेलहिया ढाला से समय करीब 08:30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 170/2024 धारा 2(ख)/(I), 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०- 33/2011 धारा 147/308/323/504/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं०- 75/2017 धारा 147/148/427/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं०- 88/2017 धारा 323/354/427/504/506 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)5 SC/ST Act. थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं०- 113/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
5. मु०अ०सं०- 54/2022 धारा 307/325/342/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- अश्वनी सिंह उर्फ शालू सिंह पुत्र गिरजेश सिंह निवासी ग्राम अजगरा मसर्की नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य, का० अवधेश यादव, का० विशाल मल्ल, म०का० प्रज्ञा यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर
मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त अवैध-तमन्चा कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 26.04.2024 को वादी मुकदमा जलालुद्दीन पुत्र फकीर मुहम्मद शाह निवासी रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्तों 1.सदाम पुत्र नजीर उम्र करीब 25 वर्ष, 2. सलमान उर्फ सोनू पुत्र कब्बर समस्त निवासी ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी व उनके परिजनो को गाली गलौज देते हुए मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 147/2024 धारा 323/504/506/336/308/34 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 28.04.2024 को उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. सदाम पुत्र नजीर उम्र करीब 25 वर्ष 2. सलमान उर्फ सोनू पुत्र कब्बर समस्त निवासी ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को ग्राम बरवां मोड से समय करीब 11:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से 01 तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 150/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सदाम पुत्र नजीर ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।
2. सलमान उर्फ सोनू पुत्र कब्बर निवासीगण ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 150/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- (सदाम)

- 1.मु0अ0सं0- 150/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
- 2.मु0अ0सं0-147/24 धारा 323,504,506,336,308,34 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
- 3.मु.अ.स.- 30/22 धारा 323,504,506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- (सलमान उर्फ सोनू)

- 1.मु0अ0सं0 150/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
- 2.मु0अ0सं0-147/24 धारा 323,504,506,336,308,34 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमंचा .315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी, हे.का. निहाल सिंह, का0 अमित यादव, का0 सुरेश यादव, का0 नितेश यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।